न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का बिदियाद

बनाम

अप्रार्थी :– श्री भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह व महेन्द्रसिंह,जितेन्द्रसिंह पि. रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी कोलाडूंगरी व छीतरराम,गोविन्दराम पि. हनुमानराम जाति जाट निवासी बिदियाद

अन्तर्गत धारा 91(3) भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 32/19

निर्णय दिनांकः–17.12.2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिदियाद ने अप्रार्थीगण के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद बिदियाद के ख.न 156 रकबा 0.25 है भूमि किस्म गै.मु.रास्ता में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91(3) एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थीगण से तामील हो प्राप्त हुए । जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण से सुरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह ने दिनांक 11.12.2019 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रास्ता बंद नही किया है,जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक परबतसर एवं पटवारी पटवार हल्का बिदियाद से जांच करवायी गयी। भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी ने अपनी रिपोर्ट(दिनांक 13.12.2019 को प्राप्त) में बताया कि खसरा नं. 156 पर अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है,अप्रार्थी ने गलत लिखित जवाब दिया है एव पटवारी हल्का द्वारा 91(3) के तहत जो रिपोर्ट की गयी हैं वो सही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू.अभिलेख निरीक्षक परबतसर एव पटवारी हल्का बिदियाद की रिपोर्टानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ाल करने एवं 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 06 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.81 है.भूमि के 5 रूपये लगान का 50 गुणा 250/– अक्षरे दो सौ पचास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। थानाधिकारी परबतसर को अप्रार्थीगण को गिरप्तार करने बाबत गिरफतारी वारण्ट जारी हो। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का बिदियाद को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर

Scanned by CamScanner